

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान बनाम

प्रकरण संख्या/

अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	न्याय पत्र जो इस पालना में
10 ¹⁰ 24	<p>वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त हुई। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाता है। निधि अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पपी डिक्री इस आशय का जारी हो। पपी डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनाथ प्रेषित हो। पत्रावली निगीत होकर गम्बर से कम होकर वापिल रफ्तार हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर